# संविधान की प्रस्तावना

''हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी,पंथनिरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये तथा इसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार,अभिव्यक्ति, विश्वास,धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिये तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
तथा अखंडता सुनिश्चित कराने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिये
दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक26 नवंबर, 1949 ईस्वी
( मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं''

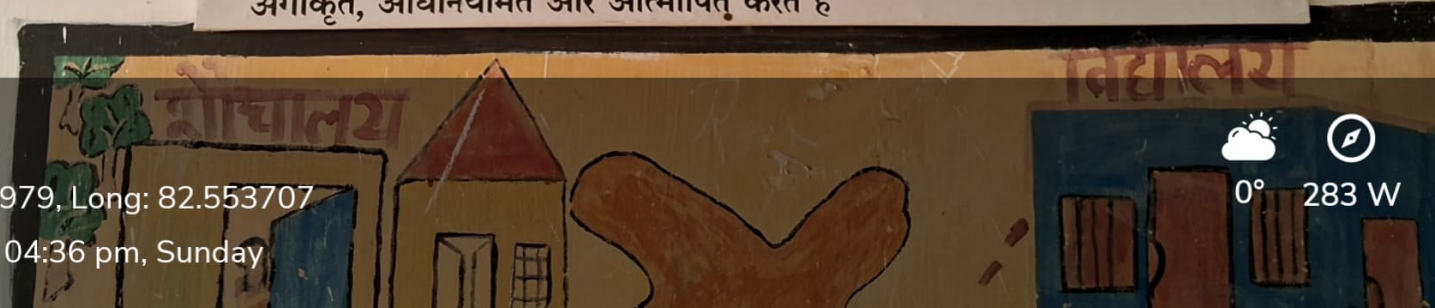

Loading...
Lat: 23.275979, Long: 82.553707
28 Apr, 24, 04:36 pm, Sunday
0°
283 W

## समता का अधिकार (समानता का अधिकार)

अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून के समक्ष समानता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अद्भुत है।

1. कानून के समक्ष समानता।
2. जाति, लिंग, धर्म, तथा मूलवंश के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव करना इस अनुच्छेद के द्वारा वर्जित है। लेकिन बच्चों एवं महिलाओं को विशेष संरक्षण का प्रावधान है।
3. सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है परंतु अगर सरकार जरूरी समझे तो उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिनका राज्य की सेवा में प्रतिनिधित्व कम है।
4. इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है अस्पृश्यता का आचरण करने को रु. 500 जुर्माना अथवा 6 महीने की कैद का प्रावधान है। यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 द्वारा जोड़ा गया।
5. इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अयोग्यियों का अंत कर दिया गया सिर्फ शिक्षा एवं सेवा में उपाधि देने की परंपरा कायम रही।

## शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद (23-24) के अंतर्गत निम्न अधिकार वर्णित है -

1. मानव दुर्व्यापार और बालश्रम का निषेध।
2. कारखानों आदि में 14 वर्ष तक बालकों के नियोजन का निषेध।
3. किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण प्रतिशेध।

## संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

अनुच्छेद (29-30) के अंतर्गत प्राप्त अधिकार-

1. किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने, भाषा या लिपि सुरक्षित रखने का अधिकार।
2. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण।
3. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार (6)

## स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद (16-22) के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न अधिकार प्राप्त हैं -

1. वाक-स्वतंत्रता (बोलने की स्वतंत्रता) आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। जमा होने, संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार।
2. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
3. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
4. शिक्षा का अधिकार (5)
5. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।

इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सत्ता, विदेशी राष्ट्रों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं।

## धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद (25-28) के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसके अनुसार नागरिकों को प्राप्त है -

1. अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अन्तर्गत सिक्खों को कृपाण (तलवार) रखने की आजादी प्राप्त है -
2. धार्मिक कार्यों के प्रबंध व आयोजन की स्वतंत्रता।
3. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता।
4. कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता।

## कुछ विधियों की व्यावृति

अनुच्छेद (32) के अनुसार कुछ विधियों के अनुसार कुछ विधियों के व्यावृत्ति का प्रावधान किया गया है -

1. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।
2. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यीकरण।
3. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

## संवैधानिक उपचारों का अधिकार

डॉ भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार

(अनुच्छेद 32-35) को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी।

(7) सांवैधानिक उपचार के अधिकार के अन्दर 5 प्रकार के प्रावधान है-

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये जाने का आदेश जारी किया जाता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या संतोषजनक न हो तो न्यायालय व्यक्ति को छोड़ने का आदेश जारी कर सकता है।
2. परमादेश यह आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है।
3. निषेधाज्ञा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमें की सुनवाई करती है तो उपर की अदालतें उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा या प्रतिषेध लेख जारी करती है।
4. अधिकार पृच्छा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्ति हो गया है जिस पर उसका कानूनी अधिकार, पृच्छा आदेश जारी कर व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
5. उत्प्रेषण रिट जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे उपर की अदालत या सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।

Loading...
Lat: 23.275912, Long: 82.553773
28 Apr, 24, 04:36 pm, Sunday
0°
105 E

# मूल कर्तव्य

## मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह-

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें ।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें ।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें ।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें ।
5. भारत के सभी लोगों में समरता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों।ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है ।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।

10.(क) माता-पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि यह छह वर्ष से चौदह वर्ष तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

Loading...
Lat: 23.275912, Long: 82.553773
28 Apr, 24, 04:36 pm, Sunday
0°
102 E